ISSN: 2394-3122 (Online)
ISSN: 2394-6253 (Print)
Impact Factor: 6.03

Volume 11, Issue 6, June 2024

SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub

Journal for all Subjects
e-ISJN: A4372-3088
p-ISJN: A4372-3089

Research Article / Survey Paper / Case Study
Published By: SK Publisher (www.skpublisher.com)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access Multidisciplinary & Multilingual International Journal - Included in the International Serial Directories

भारत के संविधान निर्माण में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका का अध्ययन

तिलकराज
शौधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
म०द०वि० रोहतक, हरयाणा।
DOI: https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v11i6.1

शोध सार: *डॉ० अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। डॉ० अम्बेडकर ने एक साधारण अछूत परिवार में जन्म लिया और बड़ी कठिनाईयों से 10वीं की परीक्षा पास की। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड व अमेरिका गए। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में वापस आकर उन्होंने वंचित समाज के लिए काम शुरू किया। डॉ० अम्बेडकर ही ऐसे नेता थे जो 1919 से 1946 तक भारतीय उपनिवेश में कानून बनाने वाली प्रक्रिया में शामिल थे। इसके बाद 1946 में डॉ० अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए और 29 अगस्त 1947 को उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस प्रारूप समिति में छह सदस्य और भी शामिल थे। परन्तु वे कुछ कारणों से अपना कार्य नहीं कर सके और डॉ अम्बेडकर के कंधों पर ये पूरी जिम्मेवारी आ गई। डॉ अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय दो तरह से कार्य किया। एक तो अछूतों के विजेता के रूप में और दूसरे एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में। डॉ अम्बेडकर एक जाने माने संविधानवादी और राजनीति की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति थे। यद्यपि डॉ० अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माण करते समय पूर्ण रूप से मुक्त नहीं थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसे भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिससे सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो और सभी गरिमापूर्वक जीवन जी सकें। इस शोध-पत्र को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है।*

मुख्य शब्द: *संविधान सभा, प्रारूप समिति, कानूनविद, लोकतन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र, गणतन्त्र आदि।*

भूमिका:-

डॉ० अम्बेडकर की आरम्भिक शिक्षा भारत में हुई और उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और इंग्लैण्ड में प्राप्त की। 1923 में उन्होंने वकालत की डिग्री पास की और भारत वापस लौट आए। डॉ० अम्बेडकर ने 1919 से 1946 तक गुलाम

© 2024, SK Publisher All Rights Reserved

भारत में अंग्रेजो द्वारा जो कानून बनाए गए, उन कानूनों के निर्माण में डॉ० अम्बेडकर ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई, विशेषकर अछूतों व महिलाओं के लिए। साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट व 1942 में श्रम मंत्रालय के सदस्य के रूप में उन्होंने वंचित समाज व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 29 अगस्त 1947 को डॉ० अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में 6 सदस्य और थे। जो किन्हीं कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सके। इस तरह डॉ० अम्बेडकर के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई, जिसका उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निर्वाह किया। डॉ० अम्बेडकर ने एक ऐसे भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसमें सबको समानता, न्याय की प्राप्ति हो और किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो और किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। मानव गरिमा पर विशेष ध्यान दिया। इस संविधान का प्रमुख उद्देश्य राजनैतिक लोकतन्त्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र की प्राप्ति था और इसकी प्राप्ति में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का बड़ा महत्व है।

डॉ० अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति में तो समानता है परन्तु सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में बड़ी असमानता है।

भारतीय संविधान निर्माता के तौर पर डॉ अम्बेडकर ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसमें जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। इन सब विविधताओं के कारण ही भारत के संविधान में अनुच्छेद । में भारत की "राज्यों का संघ" कहा गया है ताकि भारत की बहुलता बनी रहे। इसी कारण संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। जब संकट या युद्ध की स्थिति हो तो वह एकात्मक रूप में कार्य करेगा और सामान्य स्थितियों में वह संघात्मक प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। इस तरह से भारतीय संविधान में संघ की जगह "राज्यों का संघ" अनुच्छेद 1 में सही इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह डॉ अम्बेडकर के सामने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सरकार के किस रूप को अपनाएँ। बड़ी समस्या थी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाएँ या संसदीय प्रणाली अपनाएँ। डॉ० अम्बेडकर जोकि राजनीति की गहरी समझ रखते थे और वे अमेरिका व इंग्लैण्ड में पढ़े थे। इस कारण उन्होंने भारत में संसदीय प्रणाली को सही पाया और वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका को सही तौर से शासन प्रणाली में स्थान दिया। प्रधानमंत्री वास्तविक शासक है और राष्ट्रीय को नाममात्र शासक बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है। वह भी संकटकालीन शक्तियों के साथ शक्तिशाली है।

इसी तरह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को लेकर भी विवाद था कि केन्द्र को शक्तिशाली बनाया जाए या राज्ये को। लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसी व्यवस्था डॉ अम्बेडकर है संविधान निर्माताओं ने बनाई। जिसमें केन्द्र व राज्य मिलकर कार्य करते हैं, जिसे हम सहयोगात्मक संघ कह सकते हैं। जहाँ पर न तो संघ शक्तिशाली है और न ही राज्य। दोनों मिलकर कार्य करते हैं।

इसी तरह जब न्यायपालिका की बात आई तो इस बात पर बड़ा गहन वाद-विवाद हुआ कि न्यायपालिका एकीकृत हो या दोहरी। यहाँ पर भी संविधान निर्माताओं ने भारत में इकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की और केन्द्र में सर्वोच्य न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय न्याय प्रक्रिया को पूरा करेंगे। यहाँ पर भी संविधान निर्माता ने अच्छा समन्वय स्थापित किया और संघीय व्यवस्था को कायम रखते हुए केन्द्र व राज्य को न्यायिक शक्ति प्रदान की और अपनी सहयोगात्मक और अर्द्ध-

संघात्मक व्यवस्था को कायम रखा। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी केन्द्र व राज्य को दोनों को शक्तियाँ प्रदान की और इन कानूनों को न्यायपालिका भी बदल सकती है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है या कोई धारा संविधान के विरुध है। इस तरह कानून का शासन व शक्तियों का पृथ्थकरण का समन्वय भी भारतीय संविधान में देखने को मिलता है।

भारत में अर्द्ध-संघात्मक व्यवस्था कायम करने व न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखने का काम इसलिए किया गया है कि लोगों को राजनीतिक अधिकारों के अलावा सामाजिक व आर्थिक अधिकार भी मिल सके। संविधान की प्रस्तावना में भी उन्होंने 'हम भारत के लोग' से शुरू करके समानता, न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की। डॉ० अम्बेडकर ने अपने भाषण में संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि राजनैतिक लोकतन्त्र तो भारत में स्थापित हो जाएगा परन्तु हमें भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करनी है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़ी असमानता है। राजनीति में तो एक वोट, एक आदमी की बात स्थापित हो गई। परन्तु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम कब तक भेदभाव रखेंगे। इसलिए हमें लोगों को सामाजिक व आर्थिक न्याय देना होगा तभी लोकतन्त्र की स्थापना हो सकेगी।

डॉ० अम्बेडकर के सघन कानूनी प्रशिक्षण के कारण ही और मानव अधिकारों के प्रति उनकी निष्ठा के कारण ही उन्हें बगैर किसी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र के भेदभाव से परे कांग्रेस ने उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तौर पर उन्होंने संघ व परिसंघ तथा संघात्मक और एकात्मक में सही तालमेल बनाया। इसके साथ-साथ संसदीय व अध्यक्षीय प्रणाली में सही तालमेल स्थापित किया। उनका इंग्लैण्ड और अमेरिका का अनुभव यहाँ पर बड़ा असरदार रहा। वार्ताओं में कोई दिक्कत नहीं हुई।

निष्कर्ष:-

डॉ०अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बड़ी चुनौतियाँ मिली और भारत जैसे बहुलताओं वाले देश में तो चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। काफी बाधाओं के रहते हुए भी डॉ० अम्बेडकर ने काफी शानदार कार्य किया। डॉ अम्बेडकर ने संसदीय लोकतन्त्र की स्थापना के साथ-साथ संघात्मक एवं एकात्मक का शासन का शानदार समन्वय कर दिया। डॉ० अम्बेडकर को हम हमेशा दलितों, वचितों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों के विजेता के तौर पर याद रखेंगे। वे वास्तव में भारत रत्न 1990 के वास्तविक हकदार थे।

सन्दर्भ

1. सुभाष कश्यप," हमारा संविधान: भारत का संविधान और संवैधानिक विधि" राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली-2016
2. माधव खोसला," भारत का संविधान" आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली -2018
3. गेल ओमवेट," अम्बेडकर : प्रबुद्ध भारत की ओर " पेंगुइन बुक्स पब्लिशिंग, गुड़गांव -2005
4. शिबानी किंकर चौबे," भारतीय संविधान: रचना एवं कार्य" राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , नई दिल्ली -2010
5. राम रणवीर सिंह, " भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान" विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली -1986
6. डॉ० पूरण मल, " भारत का संविधान" आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर -2014
7. बसंत मून, " डॉ० बाबासाहब आंबेडकर" राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली-2020

© 2024, SK Publisher All Rights Reserved

8. ग्रेनविल आस्टिन," भारतीय संविधान: राष्ट्र की आधारशिला" वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली -2017

::: Cite this article :::

तिलकराज. (2024). भारत के संविधान निर्माण में डॉ॰ अम्बेडकर की भूमिका का अध्ययन.

SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub, 11(6), 1–4.

https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v11i6.1